

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील-बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत-अमरपुरा... दिनांक-3-10-25

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/ 4

दिनांक:-3/10/2025

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतन नाथ पिता/पति श्री मोगी नाथ निवासी अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम अमरपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 100,101/113,115 में रतन नाथ पिता/पति श्री मोगी नाथ जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम रतन नाथ पिता/पति श्री मोगी नाथ दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम रतन नाथ पिता/पति श्री मोगी नाथ का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

HL
तहसीलदार (भू.अ.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/ 765

दिनांक:-6/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रतन नाथ पिता/पति श्री मोगी नाथ राजस्व अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 100,101/113,115 में जाति/नाम रतन नाथ पिता/पति श्री मोगी नाथ दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुराधा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतन नाथ पिता/पति श्री मोगी नाथ की जाति/नाम रतन नाथ पिता/पति श्री मोगी नाथ एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एकट 1956 की धारा 136

अनवान श्री ~~रतन चान~~ पिता/पति श्री ~~भोगी चान~~

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री ~~रतन चान~~ पिता/पति श्री ~~भोगी चान~~ निवास ~~अमरपुर~~ की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम ~~अमरपुर~~ में खाता संख्या ^{100,101,135} 113 किता 11 रकबा 1.21 है. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम ~~रतन चान~~ पिता/पति श्री ~~भोगी चान~~ दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में ~~रतन चान~~ पिता/पति श्री ~~भोगी चान~~ दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम ~~रतन चान~~ पिता/पति श्री ~~भोगी चान~~ के बजाय ~~रतन चान~~ पिता/पति श्री ~~भोगी चान~~ दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 3 / 10 / 2025

~~रतन~~
हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री ~~रतन चान~~ पिता/पति श्री ~~भोगी चान~~ निवासी ~~अमरपुर~~ के राजस्व ग्राम ~~अमरपुर~~ पटवार हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या ^{100,101,135} 135 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में ~~रतन चान~~ पिता/पति श्री ~~भोगी चान~~ दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

पटवारी

पटवार मण्डल, ~~अमरपुर~~
बह. बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर

03.10.25